



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001  
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/396.

दिनांक:- 10/07/2023

## —:कार्यवाही विवरण:—

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति जोन-2 (ले-आउट प्लान) की 14/2023 की बैठक दिनांक 06.07.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपरिथत सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

### एजेण्डा संख्या 01 :-

**विषय:-** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-2 की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 13.04.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**निर्णय:-** समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

### एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.07.2023	जोन-2	झालामण्ड	753/1/1 व 753/2	08.00.00 बीघा	आवासीय योजना
<b>आवेदक</b>	श्री जगदीश मेघवाल पुत्र श्री हस्तीमल मेघवाल				
<b>विषय:-</b>	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 753/1/1 व 753/2 रकबा 08.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
<b>निर्णय:-</b>	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें।</li> <li>02. आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा से कुछ दूरी पर एच.टी विद्युत लाईन गुजर रही है अतः एच.टी लाईन के नीचे न्यूनतम सेफ्टीकोरिडोर उपरान्त 12 मीटर सड़क का प्रावधान रखा जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।</li> <li>03. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।</li> <li>04. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>05. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें।</li> <li>06. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>07. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> <li>08. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।</li> </ol>				

### एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.07.2023	जोन-2	झालामण्ड	395/5	07.03.02 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्रीमती वंदना कंवर पत्नी श्री डुंगर सिंह
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 395/5 रकबा 07.03.02 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे एवम् उक्त रास्ते को प्रस्तावित योजना में निरन्तर रखा जावे।</li> <li>02. आवेदित भूमि में प्रस्तावित जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क को दर्शाया जावे।</li> <li>03. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।</li> <li>04. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>05. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे।</li> <li>06. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>07. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> <li>08. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</li> </ol>

**एजेण्डा संख्या 04 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.07.2023	जोन-2	झालामण्ड	853, 853/3	12.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती चम्पा पत्नी श्री केवलराम, श्रीमती लीला पत्नी श्री ओमाराम, श्री नारायणराम पुत्र श्री गुणेशराम एवं श्रीमती राजुडी पत्नी श्री भीकाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 853, 853/3 रकबा 12.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे एवम् उक्त रास्ते को प्रस्तावित योजना में निरन्तर रखा जावे।</li> <li>02. आवेदित भूमि में प्रस्तावित जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क को दर्शाया जावे।</li> <li>03. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।</li> <li>04. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>05. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे।</li> <li>06. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> </ol>				

07. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
08. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

**एजेण्डा संख्या 05 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.07.2023	जोन-2	भाकरासनी	146/3	05.00.00 बीघा	एग्रो वेयर हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती शोभादेवी पत्नी श्री बद्रीराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 146/3 रकबा 05.00.00 बीघा में एग्रो वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 24 मीटर पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसे आवेदित भूमि में से निरन्तर रखा जावे।</li> <li>02. पूर्व में अनुमोदित योजना से आवेदित भूमि को दर्शित 24 मीटर पहुंच मार्ग का कुछ भाग आवेदित भूमि के समीप निर्मित नहीं है अतः उक्त पहुंच मार्ग निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>03. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे।</li> <li>04. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>05. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 06 :-**


बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.07.2023	जोन-2	कुडी भगतासनी	316, 317, 319/1, 332	01.00.00 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्री प्रवीण खत्री पुत्र डॉ एम.एल खत्री				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 316, 317, 319/1, 332 रकबा 01.00.00 बीघा में आवासीय एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में पूर्व बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 13.04.2023 के एजेण्डा संख्या 18 में लिये गए निर्णय की पालना उपरान्त ही प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।				

**एजेण्डा संख्या 07 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.07.2023	जोन-2	जोधपुर	632/3, 632/7 व 632/11	32137.06 वर्गमीटर	व्यवसायिक योजना
आवेदक	श्री आदेश्वर इन्फ्रा कॉर्पोरेशन लि0 जरिये श्री राजकुमार गुलेच्छा				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/3, 632/7 व 632/11 रकबा 32137.06 वर्गमीटर में व्यवसायिक योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

	<p>01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 120 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 60 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।</p> <p>02. पूर्व में जारी व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड पट्टा विलेख समर्पित करवाते हुए योजना मानचित्र अनुसार नवीन पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।</p> <p>03. उपविभाजन की राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे तथा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावे।</p> <p>04. नियमानुसार समस्त देय शुल्क प्रार्थी से वसूल किये जावे। पूर्व में प्रार्थी द्वारा उपविभाजन हेतु जमा शुल्क का समायोजन देय राशि में किया जावे।</p> <p>05. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</p> <p>06. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>07. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	---

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


  
 10/03/2023  
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
 एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/392 - 402 दिनांक:- 10/03/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


  
 10/03/2023  
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
 एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 14/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                   | अध्यक्ष    |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                       | सदस्य      |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।        | सदस्य      |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री मनोज सौलकी, उपायुक्त (जोन-2) जो.वि.प्रा. जोधपुर                 | सदस्य      |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।              | सदस्य सचिव |

 10/07/2023.

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर